तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
राजस्व विविध वाद सं0– 01/2018–19
आवेदक– इमानेवल मुर्मू
बनाम
विपक्षी– सुकमा टुडू(प्रधान)
आदेश

29.12.18 आवेदक इमानेवल मुर्मू, पिता–स्व0 बड़का मुर्मू, साकिन–परसपानी, पो0–तीनपहाड थाना– जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवदेन दाखिल कर मौजा शहरपुर के प्रधान से मौजा शहरपुर जमाबंदी न0 पुराना 36 नया 14 कुल रकवा 74–15–10 धूर जमीन का लगान रसीद प्राप्त करने का अनुरोध किया है। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन करने से संटुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई

आज उभय पक्ष उपस्थित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। कारणपृच्छा अप्राप्त। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा–शहरपुर के ज0न0 36 नया 14पुराना कुल रकवा 74–15–10 धूर जमीन का बिना वैधानिक अड़चन के लगान लेने से लगातार इन्कार कर रही है। जिससे आवेदक को लगान रसीद प्राप्त नही हो रहा है। जबकि उक्त वर्णित जमीन गैजर पर्चा में स्व0 रैमत मुर्मू पति जोजे मेघराय टुडू के नाम से दर्ज है। विपक्षी प्रधान कुछ असमाजिक तत्वों के मेल में आकर अपने को खतियानी रैयत का वारिसान बताते हुए उक्त जमीन का अधिकारी बताता है। लेकिन माननीय प्रभारी पदाधिकारी ने गामीणों से पूछताछ कर उसे फर्जी दावेदार माना था जिसका उल्लेख उन्होने ने अपने आदेश में किया है।

उक्त वर्णित जमीन गौजर पर्चा में रैमत मुर्मू पति मेघराय मुर्मू के नाम से दर्ज है। रैमत मुर्मू के पति के मृत्यु के पश्चात उसका जीवन यापन नैहर में रहकर भाई–भतीजा के साथ बिता और उसके भाई भतीजा ने ही उसे वृद्धावस्थ में देख–भाल किया उसके बिमारी का ईलाज कराया मृत्यु पर दफनाया एवं ग्रामीण भोज किया। इसी आधार पर प्रभारी पदाधिकारी दूमका ने अपने आदेश दिनांक 06.10.1993 में स्पष्ट लिख है, और अनुमंडल पदाधिकारी साहेबंगंज के फौती फिरारी आदेश को निरस्त करते हुए खतियानी रैयत के नजदीकी रिश्तेदार क्रमशःबड़का मुर्मू पिता–मांझी मुर्मू एवं होपना मुर्मू पिता मुंशी मुर्मू का भोग दखल पाया, और पर्चा (non Final) में उनका नाम निर्गत किया। पुनः सहायक बन्दोवस्ती पदाधिकारी दूमका शिविर न्यायालय तालझारी ने भी अंतिम फाईनल पर्चा में मेरे पिता चाचा का नाम निर्गत किया। माननीय आयुक्त महोदय दूमका ने भी आवेंदक के आवेदन में आदेश पारित किये है जिसमें वर्त्तमान प्रधान सुकमा टुडू ने एक ग्रामीण को आधार बनाकर 16 आना रैयतो का समूह बनाकर एक फर्जी केस किया था।। जिसमें माननीय आयुक्त, दूमका ने अपने आदेश दिनांक 24.07.18 को आवेदक के पुत्र विपक्षी वत्तमान प्रधान जान बुझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त जमीन का लगान रसीद मुझे प्रदान नही कर रही है, जबकि विभिन्न न्यायालयों का आदेश मुझे प्राप्त है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने विपक्षी प्रधान को खजाना राशि लेने एवं लगान रसीद निर्गत करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।

Scanned with CamScanner

विपक्षी वर्त्तमान प्रधान सुकमा टुडू से आवेदक इमानेवल मुर्मू के पक्ष में लगान रसीद निर्गत नही करने का कोई भी स्पष्ट कारण बताने में सक्षम नही रहे है। अंचल अधिकारी, तालझारी को इस न्यायालय के ज्ञपांक 383/रा0 दिनांक 30.10.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। लेकिन आज तक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है।

आवेदन ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किये है।

1. मौजा शहरपुर के ज0न0 18 प्रधान जोत पर्चा की छाया प्रति।
2. सुकमा टुडू प्रधान के द्वारा गौर साहा के पक्ष में दान पत्र डीड।
3. लगान रसीद की छाया प्रति 15 पन्नो में
4. मौजा शहरपुर के ज0न0 44 का पर्चा की छाया प्रति एवं लगान रसीद
5. गैजर पर्चा एवं वर्त्तमान पर्चा की छाया प्रति।
6. गैर अंतिम खतियानी (non Final) की छाया प्रति।
7. प्रभारी पदाधिकारी, दूमका एवं आयुक्त महोदय दूमका के आदेश की छाया प्रति।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत विपक्षी सुकमा टुडू (प्रधान) को निदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित जमीन का लगान रसीद आवेदक को निर्गत करें। द्वितीय पक्ष यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner